



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर १५८

प्र.कं.

/ 2014 पुनरीक्षण ₹ ३४४४ ॥५

1. कुन्दन पिता महेश दाहिया
2. चंदन पिता महेश दाहिया
3. नंदन पिता महेश दाहिया
4. बन्दन पिता महेश दाहिया
5. गुजन पिता महेश दाहिया
6. श्यामबाई बेवा महेश दाहिया

सभी निवासी अनूपपुर, तहसील व जिला
अनूपपुर (म.प्र.)

पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. कृष्णपाल पिता पुरुषोत्तम सिंह
2. राजपाल सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह
3. यशपाल सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह
4. अशोक सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह
5. श्रीमती इन्द्रमोहनी सिंह ^{पति} ~~पति~~ ^{पति} ~~पति~~
पुरुषोत्तम सिंह
सभी निवासी पुरानी बस्ती, अनूपपुर तहसील
व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.....उत्तरवादीगण

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय शहडोल संभाग
शहडोल म.प्र. द्वारा प्रकरण क. 17/अपील/11-12
पक्षकार कृष्णपाल सिंह एवं अन्य विरुद्ध कुन्दन दाहिया
एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.8.2014 के विरुद्ध
म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0-R.3488-III/14

जिला—अनूपपुर

कुन्दन दहिया वगैरः/कृष्णपाल सिंह

(1)	(2)	(3)
20.07.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है तथा अनावेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>	 <p>सदस्य</p>